रोगी वकालत

संवेदनहरण: क्या है?

संवेदनहरण का शाब्दिक अर्थ है "मूर्छावस्ता (बेहोशी)एवं (दर्द निवारण)"।इसके अंतर्गत शल्य चिकित्सा के दौरान आपके अचेत रखा जाएगा तथा पूरी अवधि के लिए एवं शल्य के बाद आपको पीड़ा मुक्त रखा जाएगा। पूरी प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद आपकी निगरानी की जाएगी। संवेदनहरण के अंतर्गत आपको पूर्ण रूप से अचेत किया जा सकता है। या कमर से नीचे का भाग अथवा शरीर का कोई एक अंग सुन्न किया जा सकता है जिसका निर्णय शल्य प्रणाली पर निर्भर करेगा ।अन्य हस्तक्षेप की तरह इस प्रक्रिया से भी क्षति हो सकती है किन्तु अनुभवी हाथो मे यह सुरक्षित है।

पूर्व संवेदनहरण मूल्यांकन

यह मूल्यांकन शल्य से पूर्व किया जाता है । इस मूल्यांकन मे आपको अचेत नहीं किया जाता है । इसमे बातचीत द्वारा एवं परीक्षण द्वारा आपकी अन्य बीमारियों एवं अभिलेखो को देखा जाता है। यह आकलन संवेदनहरण की योजना, उसका प्रकार एवं उससे संबोधित खतरो की जानकारी के लिए आपश्यक है। आपको पूर्ण प्रक्रियाएवं खतरो आदि से अवगत कराने के बाद आपसे इसके लिए सहमती ली जाती है तथा दवाओ का भी निर्देश दिया जाता है। आपसे अपेक्षित है की आप अपने स्वास्थय एवं दवाओ से संबधित स्टीक जानकारी प्रदान करे।

गोपनीयता एवं सूचित सहमति

सूचित सहमति

शल्य चिकित्सा के लिए संवेदनाहरण आवश्यक है। संवेदनाहरण के प्रकार तहत रोगी की अवस्था, शक्य चिकित्सा तथा अन्य बीमारियों की वजह से खतरा बढ़ सकता है। रोगी पूर्ण प्रक्रिया तथा संबधित खतरो से अवगत कराया जाता है। तत्पश्यात शल्य चिकित्सा का निर्णय रोगी को खुद लेना होता है। इस का प्रमाण लिखित रूप मे रोगी से लिया जाता है की वह बिना किसी दबाव सभी लाभ एवं खतरो को समझते हुए संवेदनाहरण एवं शल्य चिकित्सा के लिए इच्छुक है ।

सहमति कौन दे सकते हैं?

१ .रोगी स्वयं, जो १८ वर्ष से अधिक आयु का हो तथा सभी लाभ एवं खतरे समझ सकता हो।

२ . जनक नाबालिग बच्चो के लिए।

३ . पति -पत्नी एक दूसरे के लिए।

४ . एक अभिभावक बच्चे के लिए ।

गोपनीयता

आपके प्रति व्यक्तिगत सूचना गोपनीय रखी जाएगी। क्यूंकी आपकी बीमारियों का आलेख, व्यसन की जानकारी संवेदनहरण के लिए आवश्यक है, आपसे अनुरोध है की उसे चिकित्सक से छिपाए नहीं ।

संवेदनाहरण देखभाल इकाई

संवेदनाहरण प्रक्रिया शरीर के कई अंगो एवं प्रणालियों को प्रभावित करती है। संवेदनहरणोपरांत देखभाल इकाई मे एनेस्थिसियॉलॉजिस्ट एवं प्रशिक्षित चिकित्सक आपके शवसन , तापमान , ह्रदय एवं तंत्रिका तंत्र प्रणाली का आकलन करते है जब तक चेतना पूर्ण रूप से जागृत नहीं होती ।

अतिदक्षता (गहन चिकित्सा) इकाई

गंभीर रोगियो को उपचार प्रदान करने के लिए यह एक विशेष क्षेत्र है। यहा विशेष देखभाल के लिए चिकित्सको , नर्सो एवं अन्य चिकित्सको के दल के द्वारा मरीज का गहन उपचार होता है। जिसमे मशीनों द्वारा कृत्रिम शवांस व अन्य आक्रामक प्रणालिया आवश्यकतानुसार इस्तेमाल की जाती है इन रोगियो का स्वास्थय समाचार तय अंतराल पर रिश्तेदारों को प्रदान किया जाता है तथा मरीज की हालत से अवगत रखा जाता है। इसलिए रिश्तेदारों का यह कर्तवय है कि वे स्थापित दिशा - निर्देशों का पालन करे ताकि रोगियो का उपचार निविघ्न हो सके।

पीड़ा प्रबंधन

पीड़ा सरल शब्दों में शरीर के एक अप्रिय अनुभव है जो वास्तविक या संभाविक चोट की वजह से उत्पन्न होता है। संवेदनाहरण तथा शल्य क्रिया पशचात आपकी देखभाल की जाती है ताकि आपको इस पीड़ा का अनुभव न हो ।

शल्य चिकित्सा के अतिरिक्त भी पीड़ा हो सकती है। इसके मुखय कारण चोट अथवा कुछ बीमारिया है। समान्यता पीड़ा यदि ३ महीने से कम रहती है तो उसे तीर्व और उससे अधिक को जीर्ण पीड़ा कहा जाता है। यदि तीव्र पीड़ा का सही उपचार न हो तो वह जीर्ण पीड़ा मे परिवर्तित हो सकती है जो कि शरीर पर बुरा असर डालती है। पीड़ा का निदान हर मनुष्य का अधिकार है। पीड़ा हरण इकाई मे पीड़ा की प्रक्रिया एवं कारण जानकर उसका उचित उपचार का का प्रत्यन करते है। दवा तथा अन्य विधियो जैसे एक्यूपंक्चर लेजर आदि द्वारा पीड़ा का निदान किया जाता है।

रोगी के अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों का वक्तव्य

हर रोगी का अधिकार है कि

१.उसे उसके अधिकारो एवं स्वास्थ्य की स्थिति का पता हो ।

२ . वह अपनी देखभाल की योजना के कार्यान्वयन में शामिल हो तथा उससे संभन्धित किसी भी नैतिक सवाल के

समाधान में भाग ले।

३ . उसके आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जरूरतों को समझा जाए तथा उनका सम्मान किया जाए ।

४ . उसके जाति, रंग, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न किया जाए ।

५ . उसे उचित सम्मान तथा सुरक्षित विचारशील वातावरण मे सक्षम कर्मियों द्वारा उपचार प्रदान किया जाए।

६ . उन्नत निर्देशों मौखिक या लिखित रूप से तैयार करना तथा चिकित्सको द्वारा उनका अनुपालन

७ . कानून द्वारा तय सीमा के अंतर्गत उपचार से इन्कार

८ . सूचना, सुरक्षा एवं व्यक्तिगत गोपनेयता ।

९ . अपने उपचार तथा उससे संबंधित लेखो की गोपनियता

किसी भी तरह कि बाध्यता ना होना एवं स्वत्रंत्र विचार का उपयोग जब तक चिकित्सकीय आवश्यकता न है।

११ . मौखिक या शारीरिक शोषण एवं उत्पीड़न से मुक्त ।

१२ . प्रभावी पीड़ा हरण ।

१३ . प्रस्तावित शोघ अध्यानों मे सम्मेलित होने की आज़ादी ।

१४ . आगतुकों से मिलना

रोगी की ज़िम्मेदारी

१ देखभाल को प्रभावित करने वाले मानक दिशा-निर्देशों का पालन

२ . दूसरे रोगियो के अधिकारो का सम्मान

३ . चिकित्सक द्वरा बताए गए इलाज का पालन।

४ . अपनी बीमारियो, दवाओ एवं व्यसन से संबंधित विस्तरत जानकारी प्रदान करना ।

५ . वह बताए कि उन्हे चिकित्सक द्वारा दिये गए दिशा - निर्देशक समाज आ गए है।

६ . आप यदि चिकित्सक के दिशा - निर्देशों का पालन नहीं करते है हो इससे उत्पन्न परिस्थितियो के लिए आप

स्वयं जिम्मेदार